Dated:- 10-08-2026

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा

पीठासीन पदाधिकारी : आदि देव

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1192/2026

(सुजीत कुमार उर्फ सुजीत यादव बनाम राज्य सरकार)

==

1. सुजीत कुमार उर्फ सुजीत यादव पे0 राम दयाल यादव...आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार...विपक्षी

==

आवेदक की ओर से : जे0बी0 परवेज आलम, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==

आदेश

10-08-2026 1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **1. सुजीत कुमार उर्फ सुजीत यादव** की ओर से हायाघाट थाना काण्ड संख्या 103/2026 **(**विद्वान ए0सी0जे0एम0, षष्ठम, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित**)** के अंतर्गत आरोपित अपराध धारा 126(2), 115(2), 308(3), 324(4), 119(1), 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए दाखिल किया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचक मनोज कुमार शर्मा के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि वह संतोष कुमार का ड्राईवर है। दिनांक 10.06.2026 समय 13.00 बजे सिम्हा से दरभंगा के लिए निकले। उसी दौरान करीब 13.50 बजे कटरौहिया चौक के पास एक सफेद रंग की कार, जिसका रजि0 संख्या बी0आर0–009AA3796 जो हथौड़ी चौक से उसका पीछा कर रही थी, उस गाड़ी ने मेरी (सूचक) गाड़ी का साईड मिरर तोड़ते हुए सूचक की गाड़ी के आगे रोक दिया। उसमें से चार व्यक्ति उतरे और सूचक से कहने लगे कि इस रोड से जाने वाली गाड़ी रंगदारी दे कर जाता है। दस हजार रूपया दो और यहां से निकलो। सूचक गाड़ी में अपने सर के परिवार को लेकर दरभंगा आ रहा था। सूचक के मना करने पर अभियुक्त ने सूचक के गाड़ी का शीशा तोड़ा और जानलेवा हमला किया। चारों अभियुक्तगण ने सूचक के साथ मारपीट की और फिर जान बचाने के लिए पॉच हजार रूपये दे दिया। अभियुक्तगण पैसे लेकर दरभगा की ओर भाग गये।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा इस केस में कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और ना ही कहीं लम्बित है। आवेदक को कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस मामले में झूठा फॅसाया गया है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए आवेदक को

अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने का कथन किया।

6. अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अज्ञात के विरूद्ध बी0एन0एस0 की धारा 126(2), 115(2), 308(3), 324(4), 119(1), 352, 351(2), 3(5) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में वर्णित घटना के अनुसार सूचक से पॉच हजार रूपये लेने के क्रम में उसको उपहति कारित की गई है। सूचक मनोज कुमार शर्मा को कारित जख्म इस प्रकार है:–(i) Bruise of size 3cmX1cmX over right forearm.(ii) Abrasion of size 2cmX1cm over dorsum of right hand. वाद दैनिकी की कंडिका संख्या 48 में सूचक ने अपने पुनःब्यान में घटना का समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका संख्या 49 एवं 50 में घटना का समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका संख्या 09 के अनुसार घटनास्थल की विडियो फुटेज के आधार पर आवेदक एवं अन्य अभियुक्तगण की पहचान की गई। सार्वजनिक सड़क पर राहगीर के साथ उपहति कर उससे धन ले लेना, स्वयं में एक संवेदनशील एवं गंभीर अपराध है। अन्वेषण अभी जारी है।

7. उपरोक्त स्थिति में आवेदक 1. **सुजीत कुमार उर्फ सुजीत यादव** का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

(आदि देव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम
दरभंगा।

Date of Judgement/Order	10-08-2026
Date of Reserving Judgement/Order	10-08-2026
Uploading Date	14-08-2026
Uploaded by	Pawan kumar steno